भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2110

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक वितरण को नियमित किया जाना

2110. श्री बिप्लब कुमार देब:
श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के समन्वय से खरीफ और रबी सीजन के दौरान उर्वरक वितरण की निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ख) उर्वरकों का अन्यत्र उपयोग, जमाखोरी, कालाबाजारी और अत्यधिक कीमत वसूली की स्थिति से निपटने के लिए देशभर में की गई जांच, छापेमारी और प्रवर्तन कार्रवाइयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ग) घटिया उर्वरकों का पता लगाने और उनकी आपूर्ति रोकने के लिए नमूना एकत्र किए जाने, प्रयोगशाला परीक्षण और गैर-अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई सहित क्या तंत्र अपनाए गए हैं;
(घ) किसानों को उर्वरक की निर्बाध और समान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों, कृषि विभागों और उर्वरक इकाइयों के बीच समन्वय किस प्रकार सुदृढ़ किए जाने की संभावना है;
(ड.) क्या सरकार को बुआई के मौसम के दौरान उर्वरकों की कमी और इसके परिणामस्वरूप किसानों को होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) विगत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों का उत्पादन और मांग कितनी रही है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क), (घ) और (ङ): देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

ii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iii. यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है, उक्त मौसम में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयात काफी पहले से तय किया जाता है।

iv. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

v. रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें होती हैं ताकि रेल मंत्रालय राज्यों को पर्याप्त रैक दे, उर्वरकों को प्राथमिकता दे और रैकों की समय पर निकासी करवाए।

vi. राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का विवरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, सभी राज्यों में यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीकेएस सहित सभी उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। रबी 2025-26 और चल रहे खरीफ 2026 मौसम के दौरान उक्त उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक की जानकारी **अनुलग्नक-क** में दी गई है।

(ख) और (ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक अथवा मिश्रित) नियंत्रण आदेश, 1985 (FCO), 1985 का प्रशासन करता है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने वाले उर्वरकों का उत्पादन/विक्रय पूर्णतः निषिद्ध है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत राज्य सरकारें प्रवर्तन प्राधिकारी हैं तथा आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तदनुसार, राज्य के प्राधिकारी आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हैं। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई, जैसे प्राधिकार-पत्र (Authorization Letter) का निलंबन अथवा निरस्तीकरण, तथा दंडात्मक कार्रवाई, जिसमें तीन माह से सात वर्ष तक के कारावास की सजा, की जाती है।

तदनुसार, अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 (17.07.2026 तक) की अवधि के लिए खरीफ 2026 सीजन के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन, गुणवत्ता संबंधी उल्लंघनों और अन्य कदाचारों को रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

(च): वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीकेएस तथा एसएसपी उर्वरकों की मांग का विवरण निम्नानुसार है:

अखिल भारत					
2023-24 से 2025-26 तक उर्वरकों की वर्षवार आवश्यकता					
					आँकड़े एलएमटी में
वर्ष	**यूरिया**	**डीएपी**	**एमओपी**	**एनपीकेएस**	**एसएसपी**
2023-24	356.08	110.18	27.62	126.31	65.00
2024-25	364.01	111.92	22.21	151.29	72.61
2025-26	381.45	110.42	26.82	158.49	63.77

इसके अतिरिक्त, गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरकों, अर्थात् यूरिया, डीएपी, एसएसपी तथा एनपीकेएस के उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

आँकड़े एलएमटी में

वर्ष	**यूरिया**	**डीएपी**	**एसएसपी**	**एनपीकेएस**
2023-24	314.09	42.93	44.44	101.85
2024-25	306.67	37.69	52.44	121.05
2025-26	293.26	39.01	56.72	128.37
स्रोत : dbtfert.nic.in				
एमओपी का उत्पादन घरेलू स्तर पर नहीं किया जाता है और यह 100% आयातित होता है.				

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2110 के उत्तर के भाग (क), (घ) और (ङ) से संबंधित है।

रबी 2025-26 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं.	राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 31.03.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 31.03.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 31.03.26 तक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	अंतिम स्टॉक 31.03.26 तक
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	9.38	11.71	9.56	2.16	2.20	3.78	2.89	0.89	1.00	1.35	0.96	0.40	9.50	12.61	9.14	3.47
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	2.79	2.26	0.52	0.28	0.68	0.45	0.23	0.36	0.51	0.28	0.23	0.35	0.36	0.21	0.15
5	बिहार	13.50	17.37	14.59	2.78	3.90	6.13	4.66	1.47	1.50	1.83	1.40	0.44	3.50	5.69	3.58	2.11
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छतीसगढ	2.88	5.17	2.56	2.62	1.00	2.16	1.11	1.05	0.50	0.64	0.14	0.51	0.60	2.15	0.38	1.77
8	दादरा और नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.15	0.15	0.11	0.03	0.03	0.03	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
12	गुजरात	13.90	15.91	13.94	1.96	2.90	3.41	2.91	0.50	0.64	0.77	0.56	0.22	4.50	5.83	3.93	1.90
13	हरियाणा	11.60	14.77	11.88	2.89	2.70	3.35	2.70	0.64	0.30	0.38	0.14	0.23	1.20	0.52	0.25	0.27
14	हिमाचल प्रदेश	0.33	0.59	0.44	0.15	0.01	0.03	0.02	0.00	0.04	0.03	0.02	0.01	0.26	0.26	0.17	0.09
15	जम्मू और कश्मीर	0.68	1.33	0.69	0.65	0.24	0.41	0.22	0.18	0.13	0.24	0.09	0.15	0.02	0.04	0.01	0.04
16	झारखंड	1.20	1.81	1.30	0.51	0.25	0.67	0.47	0.20	0.02	0.04	0.02	0.02	0.30	0.51	0.25	0.26
17	कर्नाटक	7.60	10.48	7.78	2.70	1.98	4.19	2.49	1.70	0.97	1.76	0.98	0.78	7.20	13.52	7.67	5.85
18	केरल	0.62	0.71	0.55	0.16	0.08	0.20	0.11	0.09	0.50	0.60	0.40	0.20	0.61	0.95	0.61	0.34
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	23.00	28.90	24.17	4.74	7.50	7.62	6.00	1.61	1.00	1.02	0.58	0.44	11.50	8.63	5.09	3.54
21	महाराष्ट्र	11.25	16.65	11.55	5.09	2.60	4.96	2.71	2.25	1.50	1.78	0.96	0.82	12.00	23.14	10.84	12.31
22	मणिपुर	0.09	0.12	0.07	0.05	0.01	0.03	0.02	0.01	0.05	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
23	मेघालय	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.90	3.65	1.96	1.68	0.75	1.46	0.82	0.64	0.25	0.57	0.21	0.36	0.90	1.63	0.81	0.82
27	पुदुचेरी	0.08	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05	0.08	0.05	0.03
28	पंजाब	15.00	19.43	15.45	3.97	4.50	5.77	4.30	1.47	0.60	0.70	0.29	0.41	1.50	1.01	0.63	0.38
29	राजस्थान	15.00	20.73	16.85	3.89	3.33	4.57	3.76	0.81	0.10	0.15	0.10	0.06	1.50	1.85	1.17	0.68
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.50	7.74	6.37	1.37	1.55	2.16	1.60	0.57	1.80	1.39	1.06	0.32	5.14	7.17	4.82	2.35
32	तेलंगाना	10.40	12.01	11.15	0.86	1.45	2.55	2.00	0.54	0.65	0.93	0.60	0.34	7.00	9.47	5.78	3.71
33	त्रिपुरा	0.10	0.15	0.08	0.07	0.01	0.03	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
34	उत्तराखंड	1.01	1.34	1.06	0.28	0.15	0.44	0.26	0.18	0.05	0.06	0.02	0.04	0.20	0.12	0.08	0.04
35	उत्तर प्रदेश	40.00	51.51	40.14	11.37	14.00	17.60	12.55	5.05	1.50	2.25	1.26	0.99	7.50	11.16	6.37	4.80
36	पश्चिम बंगाल	8.20	12.43	8.76	3.67	1.99	3.19	2.37	0.83	2.20	2.54	1.53	1.01	7.00	10.66	7.01	3.65
	अखिल भारत	**196.06**	**257.59**	**203.39**	**54.22**	**53.43**	**75.41**	**54.47**	**20.93**	**15.69**	**19.63**	**11.62**	**8.01**	**82.38**	**117.43**	**68.88**	**48.59**

अनुलग्नक-क

चल रहे खरीफ़ मौसम 2026 (01.04.2026 से 26.07.2026 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक

आंकडे एलएमटी में

		यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	26.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	26.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	26.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	26.07.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	3.64	6.64	2.80	3.84	0.78	1.73	0.84	0.89	0.39	0.73	0.32	0.42	2.10	6.65	2.70	3.96
3	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.32	2.12	1.71	0.41	0.20	0.41	0.27	0.14	0.14	0.43	0.20	0.22	0.14	0.28	0.11	0.18
5	बिहार	4.62	8.15	3.56	4.60	1.59	2.29	0.92	1.37	0.84	0.83	0.13	0.70	1.88	3.28	0.75	2.53
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ	5.88	7.48	5.20	2.28	2.49	1.98	1.45	0.53	0.63	0.82	0.52	0.30	2.00	2.30	1.61	0.70
8	दादरा और नगर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.02	0.09	0.08	0.01	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01	0.00
12	गुजरात	6.20	8.55	5.93	2.62	2.54	2.28	1.64	0.65	0.31	0.41	0.21	0.20	3.42	4.26	2.35	1.91
13	हरियाणा	6.38	9.89	7.77	2.13	1.30	1.63	1.20	0.44	0.42	0.38	0.14	0.24	0.33	0.43	0.16	0.27
14	हिमाचल प्रदेश	0.17	0.42	0.28	0.15	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.09	0.09	0.06	0.03
15	जम्मू और कश्मीर	0.60	1.15	0.78	0.36	0.18	0.29	0.19	0.10	0.08	0.15	0.11	0.04	0.01	0.06	0.02	0.04
16	झारखंड	1.44	2.15	1.09	1.06	0.43	0.41	0.25	0.16	0.04	0.06	0.01	0.05	0.53	0.60	0.28	0.31
17	कर्नाटक	6.58	8.93	4.85	4.08	2.76	3.27	2.38	0.89	1.33	1.60	0.80	0.81	7.61	12.42	7.13	5.30
18	केरल	0.32	0.66	0.41	0.25	0.07	0.18	0.10	0.08	0.22	0.44	0.30	0.15	0.52	0.59	0.34	0.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	10.42	14.99	9.65	5.34	3.34	3.37	2.30	1.07	0.78	0.61	0.28	0.33	4.38	6.78	3.67	3.12
21	महाराष्ट्र	10.32	14.56	9.35	5.21	3.47	3.70	2.69	1.01	0.88	1.83	0.89	0.94	11.96	21.74	12.19	9.55
22	मणिपुर	0.11	0.18	0.12	0.06	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नगालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	2.97	4.29	1.93	2.36	1.33	1.60	0.91	0.70	0.59	0.79	0.24	0.55	1.82	2.28	0.94	1.34
27	पुदुचेरी	0.04	0.06	0.04	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.03	0.02
28	पंजाब	12.10	15.47	12.29	3.18	1.55	2.45	1.37	1.08	0.58	0.64	0.22	0.42	0.49	0.50	0.19	0.31
29	राजस्थान	6.42	10.97	7.65	3.32	3.07	2.66	1.99	0.66	0.05	0.14	0.05	0.09	0.74	1.39	0.67	0.72
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.72	4.66	3.01	1.65	0.80	1.10	0.59	0.51	0.61	0.72	0.41	0.31	2.72	3.86	2.04	1.82
32	तेलंगाना	7.26	7.88	4.27	3.61	2.04	1.93	1.62	0.31	0.57	0.54	0.15	0.39	7.18	7.68	4.49	3.18
33	त्रिपुरा	0.05	0.13	0.05	0.08	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
34	उत्तराखंड	0.71	0.96	0.74	0.22	0.15	0.30	0.15	0.15	0.04	0.05	0.01	0.05	0.12	0.04	0.02	0.02
35	उत्तर प्रदेश	25.04	35.11	19.97	15.14	5.29	8.80	3.88	4.93	1.51	1.38	0.24	1.13	2.09	6.42	1.41	5.02
36	पश्चिम बंगाल	3.45	7.48	3.48	4.00	0.83	1.38	0.60	0.79	0.81	1.52	0.41	1.11	2.13	5.76	1.91	3.86
	अखिल भारत	**118.81**	**173.06**	**107.07**	**66.01**	**34.28**	**41.90**	**25.40**	**16.50**	**10.86**	**14.14**	**5.65**	**8.51**	**52.34**	**87.57**	**43.09**	**44.48**

अनुलग्नक-ख

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2110 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) से संबंधित है।

अप्रैल 26 से जुलाई 26 (17.07.2026 के अनुसार) तक का कुल विवरण

खरीफ मौसम अप्रैल 26 से जुलाई 26 (17.07.2026 के अनुसार) तक की अवधि के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन आदि को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन			विवरण के साथ दोषसिद्ध*	ज़ब्त किए गए सामान की मात्रा (बोरियों के रूप में)	कुल		
राज्य	निरीक्षण/ छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआई आर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआई आर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआई आर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआई आर			जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	5126	4	4	0	92	66	2	30	0	0	0	0	0	शून्य	0	126	70	2
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
असम	2754	6	0	0	6	0	0	0	0	0	4	4	0	शून्य	0	16	4	0
बिहार	14139	614	604	57	1	149	15	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	615	753	72
छतीसगढ	4888	207	48	3	34	9	1	38	0	1	0	0	0	शून्य	28260	279	57	5
दादर एवं नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
दिल्ली	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
गोवा	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
गुजरात	7304	39	0	1	4	3	0	17	0	8	1	0	5	शून्य	0	61	3	14
हरियाणा	425	5	7	0	21	24	3	6	3	0	3	6	2	शून्य	0	35	40	5
हिमाचल प्रदेश	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	9065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	शून्य	1562	0	0	1
झारखंड	575	10	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	18	0	0
कर्नाटक	15192	2128	2	0	0	0	0	71	0	0	5	0	6	शून्य	4208	2204	2	6
केरल	603	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	शून्य	2202	7	0	0
मध्य प्रदेश	958	0	0	2	0	0	0	0	0	9	23	22	0	शून्य	0	23	22	11
महाराष्ट्र	38441	850	575	17	728	222	0	56	290	34	16	20	7	शून्य	0	1650	1107	58
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
मेघालय	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
मिजोरम	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
नागालैंड	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
ओडिशा	8974	0	2	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	शून्य	120	4	4	1
पुदुचेरी	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	0
पंजाब	1776	10	0	0	0	0	0	44	5	4	49	0	7	शून्य	0	103	5	11
राजस्थान	7428	688	17	1	130	28	3	111	0	1	167	1	5	शून्य	4288	1096	46	10
तमिलनाडु	4894	0	0	0	138	0	6	221	0	0	118	0	2	शून्य	0	477	0	8
तेलंगाना	10437	28	9	3	0	0	0	0	2	0	3	2	1	शून्य	0	31	13	4
त्रिपुरा	867	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	146	0	0
उत्तर प्रदेश	9687	927	363	25	46	58	2	87	69	5	23	58	6	शून्य	3826	1083	548	38
उत्तराखंड	343	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0	1
पश्चिम बंगाल	14267	5	2	0	253	16	0	30	0	0	0	0	0	शून्य	0	288	18	0
कुल	**158886**	**5521**	**1633**	**110**	**1607**	**575**	**33**	**720**	**371**	**62**	**414**	**113**	**42**	**0**	**44466**	**8262**	**2692**	**247**

* - विवरण दिया जाना है - वाद संख्या, एफआईआर का वर्ष और वाद दर्ज करने का वर्ष तथा आदेश की तारीख

उपर्युक्त डाटा राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार संकलित किया गया है